

# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 176]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 18, 2002/माघ 29, 1923

No. 176]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 18, 2002/MAGHA 29, 1923

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2002

का. आ. 211(अ).— राष्ट्रपति द्वारा 18-1-2002 को किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

आदेश

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखत) नियम, 1958 को, उन बातों के संबंध में के सिवाय, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने से लोप किया गया था, अधिक्रान्त करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखतों) नियम, 2002 है।
2. ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। राष्ट्रपति के नाम में किए गए और निष्पादित किए गए सभी आदेश और अन्य लिखतों निम्नलिखित द्वारा अधिप्रमाणित की जाएंगी -

(1) भारत सरकार के सचिव, विशेष सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, निदेशक, उप सचिव या अवर सचिव के हस्ताक्षर द्वारा ; या

(2) भारत सरकार (कार्य - आंबटन) नियम, 1961 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट मंत्रालयों, विभागों, सचिवालयों और कार्यालयों में किसी निदेशक या डेस्क अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा ; या

(3) वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978 में यथा परिभाषित किसी विभागाध्यक्ष के, किसी संघ राज्य क्षेत्र में, के विभागाध्यक्ष से भिन्न, हस्ताक्षर द्वारा ; या

(4) इन नियमों की अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट किसी विभाग, निदेशालय, आयोग, बोर्ड, कार्यालय या किसी संगठन से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उक्त अनुसूची के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट उस विभाग, निदेशालय, आयोग, बोर्ड, कार्यालय या संगठन के सामने विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा ; या

- (5) राष्ट्रपति के सचिवालय से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव, राष्ट्रपति के सैन्य सचिव, राष्ट्रपति के सचिवालय में के किसी निदेशक, उप सचिव या अवर सचिव द्वारा ; या
- (6) उपराष्ट्रपति के सचिवालय से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उपराष्ट्रपति सचिवालय में के सचिव, उपसचिव, अवर सचिव द्वारा ; या
- (7) प्रधान मंत्री के कार्यालय से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस कार्यालय में के प्रमुख सचिव, सचिव, संयुक्त सचिव, निदेशक, विशेष कार्य अधिकारी, उपसचिव या अवर सचिव द्वारा ; या
- (8) मंत्रिमंडल सचिवालय से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, मंत्रिमंडल सचिव, सचिव (समन्वय), अपर सचिव, संयुक्त सचिव, निदेशक, उप सचिव, अवर सचिव या उप निदेशक (राजभाषा) द्वारा ; या
- (9) कृषि मंत्रालय के कृषि और सहकारिता विभाग के उर्वरक खंड से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस खंड में उपायुक्त (उर्वरक) द्वारा ; या
- (10) जैव प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित मंजूरीयों की दशा में, उस विभाग में सलाहकार, निदेशक (वैज्ञानिक), प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी या ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी - I द्वारा ; या
- (11) रसायन और उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग के संचलन और आयात खंड से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस विभाग के उर्वरक खंड में उपायुक्त (पत्तन संचालन और परियोजनाएं) तथा उपायुक्त (संचलन)द्वारा और उर्वरक विभाग के उर्वरक लेखा खंड के लेखा खंड से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस खंड में लेखा उप निदेशक द्वारा ; या
- (12) विदेश व्यापार महानिदेशालय से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, महानिदेशक, विदेश व्यापार या अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार या निर्यात आयुक्त या संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार द्वारा ; या
- (13) नीलामी संविदा की अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट प्ररूप संविदा 117 में अंतर्विष्ट रूप में संविदा की साधारण शर्तों के खंड 6, 7 और 8 के अधीन या नीलाम विक्रयों की शर्तों के खंड (2)(घ) और (8) के अधीन ऐसे मांग नोटिसों की दशा में, जिनमें क्रेताओं से, पूर्ति और व्ययन महानिदेशालय द्वारा की गई किसी संविदा या किए गए किसी विक्रय के अधीन किसी हानि या पुनर्विक्रय मद्दे या किसी अन्य कारण से क्रेताओं से वसूलनीय या उनके द्वारा संदेय कोई धनराशि सरकार को संदाय करने का अनुरोध किया गया है, व्ययन निदेशक या उप निदेशक द्वारा ; और पूर्ति और व्ययन महानिदेशालय द्वारा सामान के क्रय और पूर्ति के लिए की गई संविदाओं और पूर्ति आदेशों से उद्भूत माध्यस्थ पंचाटों के निबंधनों के अनुसार तथा ऐसी संविदाओं और पूर्ति आदेशों से उद्भूत न्यायालय की डिक्रीओं के निबंधनों के अनुसार भी वसूली या संदाय के लिए मांग नोटिसों की दशा में, पूर्ति निदेशक, उप निदेशक या सहायक निदेशक या अनुभाग अधिकारी द्वारा ; या
- (14) केन्द्रीय सरकार लेखा (प्राप्तियां और संदाय) नियम, 1983 के अधीन विनिर्दिष्ट प्ररूप जी ए आर 12, 26 और 47 में क्षति पूर्ति विलेखों / बंधपत्रों और गुम मांग देय ड्राफ्ट के बदले में नए मांग देय ड्राफ्ट जारी करने के लिए क्षतिपूर्ति बंध पत्र की दशा में, भारत सरकार (कार्य - आबंटन) नियम, 1961 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट मंत्रालयों, विभागों, सचिवालयों और कार्यालयों में और इन नियमों की अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट विभागों, निदेशालयों, आयोगों, बोर्डों, कार्यालयों या संगठनों में कार्यालय प्रधान के रूप में घोषित किसी अधिकारी द्वारा ; या

(15) डाक विभाग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस विभाग में ज्येष्ठ उप महानिदेशक, उप महानिदेशक, निदेशक, सहायक महानिदेशक, मुख्य इंजीनियर या सचिव, डाक सेवा बोर्ड द्वारा ; या

(16) दूर संचार विभाग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस विभाग में किसी सलाहकार, ज्येष्ठ उप महानिदेशक, उपमहानिदेशक, निदेशक, आंतरिक वित्त सलाहकार, उप बेतार सलाहकार, सहायक बेतार सलाहकार, सहायक महानिदेशक, मुख्य इंजीनियर, मुख्य वास्तुविद या सचिव, दूर संचार आयोग द्वारा ; या

(17) उस विभाग के गजेटियर रूलिनियन से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, सम्पादक (गजेटियर) द्वारा और भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, महानिदेशक, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा ; या

(18) रक्षा मंत्रालय (वित्त खंड) से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, मंत्रालय में वित्त सलाहकार, अपर वित्त सलाहकार, उप वित्त सलाहकार या सहायक वित्त सलाहकार द्वारा ; या

(19) पर्यावरण और वन मंत्रालय जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड और राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय भी हैं, से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, मंत्रालय में किसी वन अपर महानिरीक्षक, वन उपमहानिरीक्षक, वन सहायक महानिरीक्षक, विज्ञानविद् 'एस डी', विज्ञानविद् 'एस ई', विज्ञानविद् 'एस एफ', विज्ञानविद् 'एस जी', विज्ञानविद् 'जी', विज्ञानविद् 'एच' और मंत्रालय के वन्य जीव खंड में संयुक्त निदेशक, या उप निदेशक द्वारा ; या

(20) विदेश मंत्रालय से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस मंत्रालय में किसी अताशे या प्रशासनिक अधिकारी द्वारा ; या

(21) आर्थिक कार्य विभाग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस विभाग के किसी निदेशक (स्टॉक एक्सचेंज), संयुक्त निदेशक (स्टॉक एक्सचेंज), ज्येष्ठ लेखा अधिकारी या किसी लेखा अधिकारी द्वारा ; या

(22) आर्थिक कार्य विभाग में मुद्रा और सिक्का प्रभाग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस प्रभाग के किसी विशेष अधिकारी (मुद्रा और सिक्का) या किसी उपप्रबंधक द्वारा ; या

(23) व्यय विभाग में लेखा महा नियंत्रक के संगठन से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस संगठन के महालेखा नियंत्रक, अपर महालेखा नियंत्रक, संयुक्त महालेखा नियंत्रक, उप महालेखा नियंत्रक या सहायक महालेखा नियंत्रक द्वारा ; या

(24) राजस्व विभाग में कर प्रत्यय प्रमाण पत्र (निर्यात) स्कीम, 1965 (अधिसूचना सं० 3(1)/65-टीसीसी(अ), सा०का०नि० 1183, तारीख 27 अगस्त, 1965 द्वारा प्रकाशित) से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उक्त स्कीम के पैरा 4 के अधीन नियुक्त कर प्रत्यय उप निदेशक(निर्यात) या किसी सहायक कर प्रत्यय निदेशक(निर्यात) द्वारा या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के किसी निदेशक द्वारा या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के किसी निदेशक द्वारा ; या

(25) भविष्य निधि से वित्त पोषित जीवन बीमा की ऐसी पालिसियों के समनुदेशनों के, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में समनुदेशित किया गया है, रद्दकरण की दशा में, निधि से संबंधित नियमों में यथा परिभाषित निधि के लेखा अधिकारी द्वारा ; या

(26) माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस विभाग के किसी संयुक्त शिक्षा सलाहकार, अपर शिक्षुता सलाहकार, उप शिक्षा सलाहकार, सहायक शिक्षा सलाहकार, शिक्षा अधिकारी, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, अनुज्ञापन अधिकारी, प्रतिलिप्यधिकार सूचना अधिकारी और विशेष अधिकारी (पुस्तक संवर्धन) द्वारा ; या

(27) बुनियादी शिक्षा और साक्षरता विभाग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस विभाग के उप शिक्षा सलाहकार, सहायक शिक्षा सलाहकार, शिक्षा अधिकारी और उप निदेशक द्वारा ; या

(28) परिवार कल्याण विभाग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस विभाग के उप निदेशक (विपणन) या उप निदेशक (प्रदाय) द्वारा ; या

(29) गृह मंत्रालय से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस मंत्रालय के उप वित्त सलाहकार या उप महा निदेशक (प्रदाय) और सहायक निदेशक (प्रदाय) द्वारा और सचिवालय सुरक्षा संगठन, जिसके अंतर्गत स्वागत पक्ष भी है, से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस मंत्रालय के मुख्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा ; या

(30) सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस मंत्रालय के निदेशक, संयुक्त निदेशक (प्रशासन) और उप निदेशक द्वारा ; या

(31) कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस विभाग के निदेशक (औद्योगिक सहकारी समितियाँ और समन्वय) या उप निदेशक/अवर सचिव (औद्योगिक सहकारिता और समन्वय) द्वारा ; या

(32) श्रम मंत्रालय से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस मंत्रालय के श्रम और नियोजन सलाहकार या संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक (बाल और महिला श्रम) या संयुक्त निदेशक (श्रम संबंध) या सहायक निदेशक, श्रम संबंध प्रभाग (राष्ट्रीय श्रम आयोग विंग) द्वारा ; या

(33) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 43 से संबंधित आदेशों की दशा में, कंपनी कार्य विभाग के अन्वेषण और निरीक्षण निदेशक द्वारा ; या

(34) संविधान के अधीन या किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन जारी किए गए किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ की दशा में, जहाँ ऐसा पाठ भारत के राजपत्र के भाग 2 के खंड 3क में प्रकाशित किया जाता है, विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के विधायी विभाग के राजभाषा खंड के संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, किसी अपर विधायी परामर्शी, किसी उप विधायी परामर्शी या किसी सहायक विधायी परामर्शी द्वारा ; या



(35) संविधान में विनिर्दिष्ट (हिन्दी से भिन्न) किसी भाषा में प्राधिकृत अनुवाद या संविधान के अधीन अथवा किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन जारी किए गए किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि की दशा में, जहां ऐसा अनुवाद भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के विधायी विभाग के राजभाषा खंड के (संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी) किसी अपर विधायी परामर्शी, किसी उप विधायी परामर्शी या किसी सहायक विधायी परामर्शी द्वारा ; या

(36) योजना आयोग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस आयोग के सलाहकार (प्रशासन) द्वारा ; या

(37) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस विभाग के मुख्य कल्याण अधिकारी या कैंटीन निदेशक द्वारा ; या

(38) रेल मंत्रालय से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, किसी सचिव, किसी अपर सचिव, किसी संयुक्त सचिव, किसी उप सचिव या किसी अवर सचिव द्वारा या रेल बोर्ड के किसी अपर सदस्य, सलाहकार, कार्यपालक निदेशक, निदेशक, संयुक्त निदेशक या किसी उप निदेशक द्वारा ; या

(39) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मंजूरीयों की दशा में, उस मंत्रालय के किसी विज्ञानविद् 'छ', विज्ञानविद् 'च', विज्ञानविद् 'ड', विज्ञानविद् 'घ' या विज्ञानविद् 'ग' द्वारा ; या

(40) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रौद्योगिकी अंतरण प्रभाग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, किसी ऐसे विज्ञानविद् 'घ', विज्ञानविद् 'च', विज्ञानविद् 'छ' जो ओषधि और भेषजिक अनुसंधान कार्यक्रम से संबंधित है, द्वारा ; या

(41) गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय से संबंधित मंजूरीयों की दशा में, उस मंत्रालय के सलाहकार, निदेशक (तकनीकी), प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी और ज्येष्ठ वैज्ञानिक तकनीकी श्रेणी-1 द्वारा ; या

(42) अंतरिक्ष विभाग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस विभाग के विशेष कार्य अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी द्वारा ; या

(43) शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय की प्रशासनिक सतर्कता इकाई से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस इकाई के किसी सहायक सतर्कता अधिकारी द्वारा ; या

(44) जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस विभाग में पूर्वी नदियां स्कंध में शाखा अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे भारत सरकार के अवर सचिव द्वारा ; या

(45) भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस आयोग के सचिव या अवर सचिव द्वारा ; या

(46) संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस आयोग के सचिव, प्रशासन के भारसाधक उप सचिव या प्रशासन के भारसाधक अवर सचिव द्वारा ;

## “अनुसूची”

(नियम 2 (4) देखिए)

ऐसे प्राधिकारी जो आदेशों और अन्य लिखतों को अधिप्रमाणित कर सकेंगे:-

विभाग/निदेशालय आयोग, बोर्ड, कार्यालय या संगठन का नाम	अधिकारी
1	2

कृषि मंत्रालयपशु पालन और डेयरी विभाग

भारत के महानिदेशक

भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण

परमाणु ऊर्जा विभाग

- (1) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र
- (2) परमाणु खनिज प्रभाग
- (3) उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र
- (4) परिवर्तनशील ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र
- (5) इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र
- (6) हैवी वाटर बोर्ड
- (7) नाभिकीय ईंधन काम्पलेक्स
- (8) परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड
- (9) क्रय और भंडारण निदेशालय
- (10) विकिरण और समस्थानिक प्रौद्योगिकी बोर्ड
- (11) संनिर्माण सेवा और सम्पदा प्रबंधन निदेशालय
- (12) साधारण सेवा संगठन, कलपक्कम

अध्यक्ष, कार्मिक प्रभाग  
मुख्य प्रशासनिक और लेखा अधिकारी  
मुख्य प्रशासनिक और लेखा अधिकारी  
प्रशासनिक अधिकारी - 3  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी  
निदेशक (कार्मिक/प्रशासन)  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी  
प्रशासनिक अधिकारी - 3  
प्रशासनिक अधिकारी - 3  
प्रशासनिक अधिकारी - 3  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी  
प्रशासनिक अधिकारी - 3

परमाणु ऊर्जा आयोग

सचिव

नागर विमानन मंत्रालय

नागर विमानन महानिदेशालय

उप निदेशक प्रशासन

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालयखाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

1. शर्करा निदेशालय

मुख्य निदेशक  
(शर्करा)/निदेशक (शर्करा तकनीकी)/  
निदेशक (शर्करा नियंत्रण)/  
संयुक्त सचिव (लागत)

2. वनस्पति, खाद्य तेल और वसा निदेशालय  
संस्कृति मंत्रालय

1. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
2. राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता  
रक्षा मंत्रालय

- (1) संयुक्त सचिव और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
- (2) नौ सेना परियोजना
- (3) सैनिक विनियम और फार्म
- (4) राष्ट्रीय कैंडेट कोर
- (5) सेना मुख्यालय

(6) नौ सेना मुख्यालय

(7) वायुसेना मुख्यालय

(8) राडार और संचार परियोजना कार्यालय

(9) रक्षा संपदा महानिदेशालय

(10) सेना क्रय संगठन

(11) सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा

महानिदेशक

(i) सेना चिकित्सा कोर और सेना चिकित्सा कोर  
(गैर तकनीकी) आफिसर

(12) चिकित्सा सेवा महानिदेशक (सेना)

(i) सैन्य नर्सिंग सेवा आफिसर

(ii) सैन्य दंत कोर आफिसर

(iii) जूनियर कमिश्नड आफिसर / सेना चिकित्सा कोर  
के अन्य रैंक/सेना दंत कोर

13. अश्व प्रदाय और पशु चिकित्सा कोर महानिदेशक

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन

मुख्य निदेशक (वनस्पति)

निदेशक (प्रशासन)

निदेशक / प्रधान पुस्तकालय और सूचना अधिकारी

संयुक्त सचिव और मुख्य प्रशासनिक  
अधिकारी/निदेशक/उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी  
महानिदेशक

निदेशक/सहायक निदेशक

उप महा निदेशक (कार्मिक और वित्त/निदेशक (कार्मिक))

सेना सचिव /

अपर सेना सचिव /

उप सेना सचिव / कनर्ल

सेना सचिव / सहायक

सेना सचिव / संगठन और कार्मिक

महानिदेशक / कार्मिक सेवा अपर महानिदेशक

कार्मिक निदेशक / उप निदेशक

कार्मिक सेवा निदेशक /

उप निदेशक

कार्मिक आफिसर

निदेशक / उपनिदेशक /

सहायक निदेशक

सिस्टम आफिसर

महानिदेशक /

अपर महानिदेशक /

सहायक महानिदेशक

क्रय मुख्य निदेशक /

उप क्रय मुख्य निदेशक /

सहायक मुख्य क्रय निदेशक /

अनुभाग अधिकारी

उपमहानिदेशक

अपर महानिदेशक सैन्य नर्सिंग सेवा

निदेशक, दंत सेवा

निदेशक चिकित्सा सेवा (प्रशिक्षण और समन्वय)

अश्वस प्रदाय और पशु चिकित्सा कोर के अपर  
महानिदेशक

निदेशक कार्मिक /

उप निदेशक कार्मिक /

सहायक निदेशक कार्मिक

रक्षा उत्पादन और आपूर्ति

1. योजना और समन्वय निदेशालय
2. आर्डनेंस कारखाना
3. तकनीकी विकास और उत्पादन (वायु) निदेशालय

निदेशक (योजना और समन्वय)/उप योजना अधिकारी (समन्वय)  
 महानिदेशक (आर्डनेंस कारखाना) / अपर महानिदेशक (सदस्य आर्डनेंस कारखाना बोर्ड) / उप महानिदेशक / संयुक्त निदेशक निदेशक या संयुक्त निदेशक (प्रशासन) या सहायक निदेशक (प्रशासन)

रक्षा मंत्रालय (वित्त)रक्षा लेखा विभागवित्त मंत्रालयराजस्व विभाग

1. प्रवर्तन निदेशालय
2. अग्रिम विनियम प्राधिकारी
3. आयकर बंदोबस्त आयोग
4. स्वापक ओषधि नियंत्रण ब्यूरो

अपर महानियंत्रक / उप महानियंत्रक

विशेष निदेशक/ अपर निदेशक / उप निदेशक / सहायक निदेशक / उपविधि सलाहकार आयकर आयुक्त/अपर आयकर आयुक्त / उप आयकर आयुक्त अध्यक्ष / सचिव

उप विधि सलाहकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालयस्वास्थ्य विभाग

महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं

निदेशक (प्रशासन और सर्तकता)/उप निदेशक (प्रशासन)

गृह मंत्रालय

1. आसूचना ब्यूरो

मुख्यालय कार्यालय में के संयुक्त निदेशक /उपनिदेशक /संयुक्त उप निदेशक /सहायक निदेशक/ संयुक्त सहायक निदेशक

मुख्यालय कार्यालय में के उप निदेशक / अपर उप महानिरीक्षक / सहायक निदेशक

महानिदेशक /अपर महानिदेशक/महानिरीक्षक / वित्तीय सलाहकार / उप निदेशक / उप वित्तीय सलाहकार /सहायक निदेशक /संयुक्त सहायक निदेशक/ उपसहायक निदेशक

महानिदेशक /महानिरीक्षक पुलिस /

उपमहानिरीक्षक/कमांडेंट (स्टाफ)/ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

महानिदेशक / महानिरीक्षक पुलिस/ उप महानिरीक्षक पुलिस / सहायक महानिरीक्षक / ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

उप निदेशक (प्रशासन)

अपर निदेशक

सचिवालय के मुख्यालय में के निदेशक/ उप सचिव

महानिदेशक/उप महानिदेशक / निदेशक /उप निदेशक /

सहायक निदेशक / संयुक्त सहायक निदेशक / उप

सहायक निदेशक

2. सीमा सुरक्षा बल
3. केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल
4. भारत - तिब्बत सीमा पुलिस
5. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
6. राष्ट्रीय पुलिस अकादमी
7. समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार)
8. पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय
9. असम राइफल्स

10. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड उप महानिरीक्षक (प्रशासन)  
यूप कमांडेंट (स्थापन)
11. भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय भारत का महारजिस्ट्रार / संयुक्त महारजिस्ट्रार/ उप महारजिस्ट्रार / संयुक्त निदेशक/ उप निदेशक
12. जनगणना प्रचालन निदेशालय निदेशक जनगणना प्रचालन / संयुक्त निदेशक जनगणना प्रचालन / उपनिदेशक जनगणना प्रचालन / सहायक निदेशक जनगणना प्रचालन
13. पुनर्वास विभाग प्रबंध अधिकारी
14. विशेष सेवा ब्यूरो मुख्यालय में के संयुक्त निदेशक/ महानिरीक्षक पुलिस, उपनिदेशक / उप महानिरीक्षक, संयुक्त उप निदेशक / सहायक निदेशक
15. पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो महानिदेशक, निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक, संयुक्त सहायक निदेशक

मानव संसाधन विकास मंत्रालय  
महिला और बाल विकास विभाग  
खाद्य और पोषाहार बोर्ड  
युवा कार्य और खेल मंत्रालय  
राष्ट्रीय सेवा स्कीम

तकनीकी सलाहकार / क्षेत्रीय उप तकनीकी सलाहकार

निदेशक/कार्यक्रम सलाहकार/डेस्क अधिकारी/ अनुभाग अधिकारी/ विभागाध्यक्ष या भारत सरकार (कार्य - आबंटन ) नियम, 1961 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट मंत्रालयों/ विभागों /सचिवालयों/ कार्यालयों के कार्यालयाध्यक्ष के रूप में घोषित किसी अधिकारी द्वारा और गुम मांग देय ड्राफ्ट के बदले में नए ड्राफ्ट जारी करने के लिए क्षतिपूर्ति बंधपत्रों की दशा में केन्द्रीय सरकार लेखा (प्राप्तियाँ और संदाय) नियम, 1983 के अधीन विनिर्दिष्ट प्ररूप जी ए आर 12, 26 और 47 में विनिर्दिष्ट विलेखों/क्षतिपूर्ति बंधपत्रों की दशा में इन नियमों की अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट विभाग / निदेशालय/ आयोग / बोर्ड / कार्यालय / संगठन के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा ।

#### लघु उद्योग मंत्रालय

1. विकास आयुक्त लघु उद्योग का कार्यालय
2. आर्थिक सलाहकार का कार्यालय
3. औद्योगिक लागत और कीमत ब्यूरो
4. नमक आयुक्त का कार्यालय, जयपुर
5. मुख्य विस्फोटक नियंत्रक का कार्यालय, नागपुर

विकास आयुक्त, संयुक्त विकास आयुक्त, मुख्यालय कार्यालय में के निदेशक (प्रशासन) और उप निदेशक प्रशासन)

अपर आर्थिक सलाहकार और उप आर्थिक सलाहकार सचिव/ निदेशक की रैंक में का कोई अधिकारी

नमक आयुक्त, उप नमक आयुक्त और सहायक नमक आयुक्त

मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, ज्येष्ठ संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक और उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक

#### सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(क) मानकीकरण परीक्षण और क्वालिटी प्रमाणन निदेशालय

- (i) इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशालाएं
- (ii) इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण और विकास केन्द्र

महानिदेशक, ( मानकीकरण परीक्षण और क्वालिटी नियंत्रण ) संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक निदेशक, संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक निदेशक, संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक

(iii) विश्वसनीयता केन्द्र	निदेशक, संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक
(ख) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र	निदेशक, संयुक्त निदेशक, सहायक निदेशक
<u>विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय</u> <u>विधायी विभाग</u>	
राजभाषा खंड	संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी
श्रम मंत्रालय	
श्रम महानिदेशालय	महानिदेशक / संयुक्त सचिव / उपसचिव/अवर सचिव/डेस्क अधिकारी
<u>कोयला और खान मंत्रालय</u>	
1. भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण	ज्येष्ठ उप महानिदेशक/उप महानिदेशक/निदेशक/क्षेत्रीय प्रशासनिक अधिकारी/ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
2. भारतीय खान ब्यूरो	महानियंत्रक/खान नियंत्रक (समन्वय)/मुख्य खान नियंत्रक /निदेशक (अयस्क ड्रेनिंग)/कार्यालयाध्यक्ष
<u>कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग</u>	
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो	उप निदेशक (प्रशासन)/ प्रशासनिक अधिकारी/ सहायक निदेशक (स्थापन)
<u>विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय</u>	
<u>विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग</u> भारतीय मौसम विज्ञान विभाग	उप महानिदेशक मौसम विज्ञान (प्रशासन और भंडार)
<u>सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय</u>	
1. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग	अवर सचिव
2. राष्ट्रीय अल्प संख्यक आयोग	अवर सचिव
<u>अंतरिक्ष विभाग</u>	
अंतरिक्ष आयोग	सचिव
<u>वाणिज्य विभाग</u>	
पूर्ति और व्ययन महानिदेशालय	निदेशक (प्रशासन) उप निदेशक
<u>सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय</u>	
1. सड़क सुरक्षा	उप निदेशक (सड़क सुरक्षा)
2. समुद्री विकास	लेखा अधिकारी (समुद्री विकास)
<u>वस्त्र मंत्रालय</u>	
1. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)	विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) / निदेशक (विपणन)
2. वस्त्र आयुक्त का कार्यालय	संयुक्त वस्त्र आयुक्त
3. विकास आयुक्त (हथकरघा) का कार्यालय	उप विकास आयुक्त
4. जूट आयुक्त का कार्यालय	उप जूट आयुक्त
<u>शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय</u>	

शहरी विकास विभाग

1. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
2. मुद्रण निदेशालय
3. संपदा निदेशालय
4. टाउन और कन्द्री योजना संगठन
5. भूमि और विकास कार्यालय

निदेशक/उपनिदेशक (प्रशासन)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

मुकदमा, बाजार और नीति प्रकोष्ठ के भार साधक  
संपदा उप निदेशक

मुख्य योजनाकार

भूमि और विकास अधिकारी/ उप भूमि और विकास  
अधिकारी / सहायक बंदोबस्त आयुक्तजल संसाधन मंत्रालय

केन्द्रीय जल आयोग

मुख्यालय स्थित मानव संसाधन खंड में के सचिव  
(केन्द्रीय जल आयोग)/निदेशक/अवर सचिव/ उपनिदेशक

नई दिल्ली

तारीख 16 जनवरी, 2002

के. आर. नारायणन,  
राष्ट्रपति।

[सं. 23/1/94-पब्लिक]

यशवंत राज, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS,  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th February, 2002

S. O. 211(E).—The following Order made by the President on 16-01-2002 is published for general information.

ORDER

In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 77 of the Constitution and in supersession of the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 1958, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President is pleased to make the following rules, namely:—

(1) These rules may be called the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette. All Orders and other instruments made and executed in the name of the President shall be authenticated -

(1) by the signature of a Secretary, Special Secretary, Additional Secretary, Joint Secretary, Director, Deputy Secretary, or Under Secretary to the Government of India ; or

(2) by the signature of a Director or Desk Officer in the Ministries, Departments, Secretariats and Offices specified in the First Schedule to the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961; or



(3) by the signature of a Head of a Department as defined in the Delegation of Financial Powers Rules, 1978, other than a Head of Department in any Union Territory ; or

(4) in the case of orders and other instruments relating to a Department, Directorate, Commission, Board, Office or an Organisation, specified in column 1 of the Schedule to these rules, by an officer specified against that Department, Directorate, Commission, Board, Office or Organisation in column 2 of the said Schedule; or

(5) in the case of orders and other instruments relating to the President's Secretariat, by the Secretary to the President, Joint Secretary to the President, the Military Secretary to the President, a Director, a Deputy Secretary or an Under Secretary in the President's Secretariat; or

(6) in the case of orders and other instruments relating to the Secretariat of the Vice-President, by the Secretary, Deputy Secretary, under Secretary in the Vice-President's Secretariat; or

(7) in the case of orders and other instruments relating to the Prime Minister's Office, by the Principal Secretary, Secretary, Joint Secretary, Director, Officer on Special Duty, Deputy Secretary or the Under Secretary in that Office; or

(8) in the case of orders and other instruments relating to the Cabinet Secretariat, by the Cabinet Secretary, Secretary (Co-ordination), Additional Secretary, Joint Secretary, Director, Deputy Secretary, Under Secretary or Deputy Director (Official Language).

(9) in the case of orders and other instruments relating to the Fertiliser Division of the Department of Agriculture and Co-operation of the Ministry of Agriculture by the Deputy Commissioner (Fertilizer) in that Division; or

(10) in the case of sanctions relating to the Department of Biotechnology, by the Advisor, Director (Scientific), Principal Scientific Officer or Senior Scientific Officer Grade-I in that Department; or

(11) in the case of orders and other instruments relating to the Movement and Import Division of the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers by the Deputy Commissioner (Port Operations & Projects) and Deputy Commissioner (Movement) in the Fertiliser Division of that Department and in the case of those relating to the Accounts Wing of the Fertiliser Accounts Wing of the Department of Fertilisers, by the Deputy Director of Accounts in that Wing; or

(12) in the case of orders and other instruments relating to the Directorate General of Foreign Trade, by the Director General of Foreign Trade, or the Additional Director General of Foreign Trade, or the Export Commissioner or Joint Director General of Foreign Trade; or

(13) in the case of demand notices under clauses 6,7 and 8 of the General conditions of Contract as contained in Form Contract 117 or under clauses (2)(d) and (8) the conditions of Auction Sales specified under Schedule III of the Auctioneering Contract requesting purchasers to pay to the Government any sum of money recoverable from or payable by purchasers on account of either loss or resale or for any other reason under a contract or sale entered into by the Directorate General of Supplies and Disposals, by a Director or a Deputy Director of Disposals; and in the case of demand notices for recovery or payment in term of Arbitration Awards arising out of the contracts and supply orders placed by the Directorate General of Supplies and Disposals for purchase and supply of Stores and also in terms of court decrees arising out of such contracts and supply orders or otherwise, by a Director, a Deputy Director or an Assistant Director or a Section Officer of Supplies; or

(14) in the case of deeds/bonds of indemnity in Forms GAR 12, 26 and 47 specified under the Central Government Account (Receipts and Payments) Rules, 1983 and indemnity bond for issue of fresh demand draft in lieu of lost demand draft, by an officer declared as Head of Office in the Ministries, Departments, Secretariats and Offices specified in the First Schedule to the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961 and Departments, Directorates, Commissions, Boards, Offices or Organisations specified in column 1 of the Schedule to these rules; or

(15) in the case of orders and other instruments relating to the Department of Posts, by a Senior Deputy Director General, a Deputy Director General, a Director, an Assistant Director General, a Chief Engineer or the Secretary, Postal Services Board in that Department; or

(16) in the case of orders and other instruments relating to the Department of Telecommunication, by an Adviser, a Senior Deputy Director General, a Deputy Director General, a Director, an Internal Financial Advisor, a Deputy Wireless Advisor, an Assistant Wireless Advisor, an Assistant Director General, a Chief Engineer, a Chief Architect or the Secretary, Telecom Commission in that Department; or

(17) in the case of orders and other instruments relating to the Gazetters Union of that Department, by the Editor (Gazetters) and in the case of orders and other instruments relating to the National Archives of India, by the Director General of National Archives of India; or

(18) in the case of orders and other instruments relating to the Ministry of Defence (Finance Division), by a Financial Advisor, Additional Financial Advisor, Deputy Financial Advisor or Assistant Financial Advisor in the Ministry; or

(19) in the case of orders and other instruments relating to the Ministry of Environment and Forests including National Afforestation and Eco-Development Board and National River Conservation Directorate, by an Additional Inspector General of Forests, Deputy Inspector General of Forests, Assistant Inspector General of Forests, Scientist 'SD', Scientist 'SE', Scientist 'SF', Scientist 'SG', Scientist 'G', Scientist 'H' and by a Joint Director, or Deputy Director in the Wildlife Division of the Ministry; or

(20) in the case of orders and other instruments relating to the Ministry of External Affairs, by an Attache or an Administrative Officer in that Ministry; or

(21) in the case of orders and other instruments relating to the Department of Economic Affairs, by a Director (Stock Exchange), Joint Director (Stock Exchange), Senior Accounts Officer or an Accounts Officer in that Department; or

(22) in the case of orders and other instruments relating to the Currency and Coinage Division in the Department of Economic Affairs, by a Special Officer (Currency & Coinage) or a Deputy Manager in that Division; or

(23) in the case of orders and other instruments relating to the Organisation of the Controller General of Accounts in the Department of Expenditure by the Controller General of Accounts, Additional Controller General of Accounts, Joint Controller General of Accounts, the Deputy Controller General of Accounts or the Assistant Controller General of Accounts in that Organisation; or

(24) in the case of orders and other instruments relating to the Tax Credit Certificate (Exports) Scheme, 1965 (published vide notification No.3(1)/65-TCC(E) vide GSR 1183, dated the 17th August, 1965) in the Department of Revenue, by a Deputy Director of Tax Credit (Exports) or an Assistant Director of Tax Credit (Exports) appointed under paragraph 4 of the said Scheme, or by a Director in the Central Board of Excise and Customs, or by a Director in the Central Board of Direct Taxes; or

(25) in the case of cancellation of assignments of policies of life assurance, financed from a Provident Fund, which have been assigned in favour of the President of India, by the Accounts Officer of the Fund as defined in the Rules relating to the Fund; or

(26) in the case of orders and other instruments relating to the Department of Secondary and Higher Education by a Joint Educational Advisor, Additional Apprenticeship Advisor, Deputy Educational Advisor, Assistant Educational Advisor, Education Officer, Joint Director, Deputy Director, Licensing Officer, Copyright Information Officer and Special Officer (Book Promotion) in that Department; or

(27) in the case of orders and other instruments relating to Department of Elementary Education and Literacy by the Deputy Education Advisor, Assistant Educational Advisor, Education Officer and Deputy Director in that Department; or

(28) in the case of orders and other instruments relating to the Department of Family Welfare, by the Deputy Director (Marketing), or Deputy Director (Supply) of that Department; or

(29) in the case of orders and other instruments relating to the Ministry of Home Affairs, by a Deputy Financial Advisor or Deputy Director General (Supplies) and Assistant Director (Supplies) and in the case of orders and other instruments relating to the Secretariat Security Organisation including Reception Wing, by the Chief Security Officer in that Ministry; or

(30) in the case of orders and other instruments relating to the Ministry of Information Technology by the Director, the Joint Director (Administration) and Deputy Director in that Ministry; or

(31) in the case of orders and other instruments relating to the Ministry of Agro and Rural Industries, by the Director (Industrial Co-operatives and Co-ordination) or the Deputy Director/Under Secretary (Industrial Co-operatives and Co-ordination) in that Department; or

(32) in the case of orders and other instruments relating to the Ministry of Labour by the Labour and Employment Adviser or Joint Director/Deputy Director (Child and Women Labour) or Joint Director (Labour Relations) or Assistant Director in the Labour Relations Division (National Commission on Labour Wing) of that Ministry; or

(33) in the case of orders relating to section 43 of Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), by the Director of Investigation and Inspection in the Department of Company Affairs; or

(34) in the case of authoritative text in Hindi of any order, rule, regulation or bye-law issued under the Constitution or under any Central Act where such text is published in Section 3A of Part II of the Gazette of India, by the Joint Secretary and Legislative Counsel, an Additional Legislative Counsel, a Deputy Legislative Counsel or an Assistant Legislative Counsel, Official Languages Wing, Legislative Department, Ministry of Law, Justice and Company Affairs; or

(35) in the case of authoritative translation in any language (other than Hindi) specified in the Constitution, or any order, rule, regulation or bye-law issued under the Constitution or under any Central Act, where such translation is published in the Gazette of India, by Joint Secretary and Legislative



Counsel, an Additional Legislative Counsel, a Deputy Legislative Counsel or an Assistant Legislative Counsel, Official Languages Wing, Legislative Department, Ministry of Law, Justice and Company Affairs; or

(36) in the case of orders and other instruments relating to the Planning Commission, by the Advisor (Administration) in that Commission; or

(37) in the case of orders and other instruments relating to the Department of Personnel and Training by the Chief Welfare Officer or the Director of Canteens in that Department; or

(38) in the case of orders and other instruments relating to the Ministry of Railways, by a Secretary, an Additional Secretary, a Joint Secretary, a Deputy Secretary or an Under Secretary to, or by a/an Additional Member, Advisor, Executive Director, Director, Joint Director, or a Deputy Director, of the Railway Board; or

(39) in the case of sanctions relating to the Ministry of Science and Technology, by a Scientist 'G', Scientist 'F', Scientist 'E', Scientist 'D', or Scientist 'C' in that Ministry; or

(40) in the case of orders and other instruments relating to Technology Transfer Division of Department of Science & Technology, by a Scientist-D, Scientist-F or Scientist-G dealing with Drugs & Pharmaceuticals Research Programme; or

(41) in the case of sanctions relating to the Ministry of Non-conventional Energy Sources, by the Adviser, Director (Technical), Principal Scientific Officer and Senior Scientific Officer Grade-I in that Ministry; or

(42) in the case of orders and other instruments relating to the Department of Space, by the Officer on Special Duty or Administrative Officer in that Department; or

(43) in the case of orders and other instruments relating to the Administrative Vigilance Unit in the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, by an Assistant Vigilance Officer in that Unit; or

(44) in the case of orders and other instruments relating to the Ministry of Water Resources, by the Under Secretary to the Government of India functioning as Branch Officer in the Eastern Rivers Wing in that Department; or

(45) in the case of orders and other instruments relating to the Election Commission of India, by the Secretary or Under Secretary in that Commission; or

(46) in the case of orders and other instruments relating to the Union Public Service Commission, by the Secretary, the Deputy Secretary-in-charge of Administration or the Under Secretary-in-charge of Administration in the office of that Commission;

## " SCHEDULE "

( See rule 2 (4) )

Authorities who may authenticate orders and other Instruments:-

Name of the Department/Directorate Commission, Board, Office or an Organisation	Officer
1.	2.

MINISTRY OF AGRICULTURE

Department of Animal Husbandary  
and Dairying  
Fishery Survey of India

Director General of  
India

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

(1) Bhabha Atomic Research Centre	Head, Personnel Division
(2) Atomic Minerals Division	Chief Administrative and Accounts Officer.
(3) Centre for Advanced Technology	Chief Administrative and Accounts Officer.
(4) Variable Energy Cyclotron Centre	Administrative Officer-III.
(5) Indira Gandhi Centre for Atomic Research	Chief Administrative Officer
(6) Heavy Water Board	Director (Personnel/Administration).
(7) Nuclear Fuel Complex	Chief Administrative Officer
(8) Atomic Energy Regulatory Board	Administrative Officer-III.
(9) Directorate of Purchase and Stores	Administrative Officer-III.
(10) Board of Radiation and Isotope Technology	Administrative Officer-III.
(11) Directorate of Construction Service and Estate Management	Chief Administrative Officer.
(12) General Services Organisation, Kalpakkam	Administrative officer-III.
Atomic Energy Commission	Secretary

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

Directorate General of  
Civil Aviation

Deputy Director of  
Administration.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD  
AND PUBLIC DISTRIBUTION

Department of Food and Public Distribution

- |  |  |
|--|--|
| (1) Directorate of Sugar                                 | Chief Director<br>(Sugar)/Director<br>(Sugar Technical)/<br>Director (Sugar<br>Control)/ Joint<br>Director (Cost). |
| (2) Directorate of Vanaspati,<br>Vegetable Oils and Fats | Chief Director<br>(Vanaspati).   |

MINISTRY OF CULTURE

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| (1) Archaeological Survey of India | Director (Administration).                               |
| (2) National Library, Calcutta     | Director/Principal<br>Library and<br>Information Officer |

MINISTRY OF DEFENCE

- |   |  |
|---|--|
| (1) Joint Secretary and<br>Chief Administrative Officer | Joint Secretary and<br>Chief Administrative<br>Officer/Director/<br>Deputy Chief<br>Administrative<br>Officer  |
| (2) Naval Project                                       | Director General   |
| (3) Military Regulations and Forms                      | Director/Assistant<br>Director.  |
| (4) National Cadet Corps                                | Deputy Director<br>General (Personnel<br>and Finance)/<br>Director (Personnel).  |
| (5) Army Headquarters                                   | Military Secretary/<br>Additional Military<br>Secretary/<br>Deputy Military<br>Secretary/Colonel<br>Military Secretary<br>/Assistant<br>Military Secretary/<br>Director General of<br>Organisation and<br>Personnel/Additional<br>Director General of<br>Personnel Services. |
| (6) Naval Headquarters.                                 | Director/Deputy<br>Director of<br>Personnel, Director/<br>Deputy Director of<br>Personnel Services.  |



- |  |   |
|--|---|
| (7) Air Force Headquarters   | Director/Deputy<br>Director/Assistant<br>Director of<br>Personnel (Officers).   |
| (8) Radar and Communications<br>Project Office   | Systems Officer.  |
| (9) Directorate General of<br>Defence Estates  | Director General/<br>Additional Director<br>General/Assistant<br>Director General.  |
| (10) Army Purchase Organisation  | Chief Director of<br>Purchase/Deputy Chief<br>Director of Purchase/<br>Assistant Chief<br>Director of Purchase/<br>Section Officer. |
| (11) <u>Director General Armed<br/>Forces Medical Services.</u>                                  |   |
| (i) Army Medical Corps and<br>Army Medical Corps (Non-<br>Technical) Officers                    | Deputy Director<br>General.   |
| (12) <u>Director General Medical<br/>Services (Army)</u>   |   |
| (i) Military Nursing Service<br>Officers   | Additional Director<br>General Military<br>Nursing Service.   |
| (ii) Army Dental Corps<br>Officers   | Director, Dental<br>Services.   |
| (iii) Junior Commissioned<br>Officers/Other Ranks<br>of Army Medical Corps/<br>Army Dental Corps | Director, Medical<br>Services (Training<br>and Coordination)  |
| (13) Director General of Remount<br>and Veterinary Corps   | Additional Director<br>General of Remount<br>and Veterinary Corps   |

DEPARTMENT OF DEFENCE RESEARCH  
AND DEVELOPMENT

Defence Research and  
Development Organisation

Director of  
Personnel/Deputy  
Director of  
Personnel/Assistant  
Director of  
Personnel.

DEPARTMENT OF DEFENCE  
PRODUCTION AND SUPPLIES

(1) Directorate of Planning and  
Coordination

Director (Planning  
and Co-ordination)/  
Deputy Planning  
Officer  
(Co-ordination).

(2) Ordnance Factories

Director General (Ordnance Factory)/Additional Director General (Member Ordnance Factory Board) /Deputy Director General/ Joint Director.

(3) Directorate of Technical Development and Production (Air)

Director or Joint Director (Administration) or Assistant Director (Administration)

MINISTRY OF DEFENCE (FINANCE)

Defence Accounts Department

Additional Controller General/ Deputy Controller General.

MINISTRY OF FINANCE  
Department of Revenue

(1) Enforcement Directorate

Special Director/ Additional Director/ Deputy Director/ Assistant Director/ Deputy Legal Advisor

(2) Authority for Advance Rulings

Commissioner of Income-Tax/Additional Commissioner of Income Tax/ Deputy Commissioner of Income-Tax.

(3) Income-Tax Settlement Commission

Chairman/Secretary.

(4) Narcotics Control Bureau

Deputy Legal Advisor

M/O HEALTH & FAMILT WELFARE

DEPARTMENT OF HEALTH

Directorate General of Health Services

Director (Administration and Vigilance)/ Deputy Director (Administration).

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(1) Intelligence Bureau

Joint Director/ Deputy Director/ Joint Deputy Director/Assistant Director/Joint Assistant Director in the Headquarters Office.

- |   |  |
|---|--|
| (2) Border Security Force                               | Deputy Director/<br>Additional Deputy<br>Inspector General/<br>Assistant Director<br>in the Headquarters<br>Office.  |
| (3) Central Reserve Police Force                        | Director General<br>Additional Director<br>General/Inspector<br>General/Financial<br>Advisor/Deputy<br>Director/ Deputy<br>Financial Advisor/Assistant<br>Director/Joint Assistant<br>Director/Deputy Assistant<br>Director. |
| (4) Indo-Tibetan Border Police                          | Director General/<br>Inspector General of<br>Police/Deputy Inspector<br>General/Commandant<br>(Staff)/Senior<br>Administrative<br>Officer.   |
| (5) Central Industrial<br>Security Force                | Director General/<br>Inspector General<br>of Police/Deputy Inspector<br>General of Police/<br>Assistant Inspector General<br>/Senior Administrative<br>Officer.  |
| (6) National Police Academy                             | Deputy Director<br>(Administration)  |
| (7) Directorate of<br>Coordination (Police<br>Wireless) | Additional Director  |
| (8) North Eastern Council<br>Secretariat                | Director/Deputy<br>Secretary at<br>the Headquarters of<br>the Secretariat.   |
| (9) Assam Rifles  | Director General/<br>Deputy Director<br>General/Director/<br>Deputy Director/<br>Assistant Director/Joint<br>Assistant Director/Deputy<br>Assistant Director.  |
| (10) National Security Guard                            | Deputy Inspector<br>General (Administration)<br>Group Commandant<br>(Establishment).   |

- |  |   |
|--|---|
| (11) Office of the Registrar General, India. | Registrar General, India/Joint Registrar General/Deputy Registrar General/Joint Director /Deputy Director.  |
| (12) Directorate of Census Operations        | Director of Census Operations/Joint Director of Census Operations/Deputy Director of Census Operations/Assistant Director of Census Operations.     |
| (13) Rehabilitation Division                 | Managing Officer  |
| (14) Special Service Bureau.                 | Joint Director/Inspector General of Police, Deputy Director/Deputy Inspector General, Joint Deputy Director/Assistant Director in the Headquarters. |
| (15) Bureau of Police Research & Development | Director General, Director, Deputy Director, Assistant Director, Joint Assistant Director   |

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

Department of Women and Child Development

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| Food and Nutrition Board | Technical Advisor/<br>Regional Deputy<br>Technical Advisor |
|--------------------------|--|

Ministry of Youth Affairs and Sports

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| National Service Scheme | Director/Programme Advisor/Desk Officer/Section Officer/Head of the Department or By an officer declared as Head of office in the Ministries/Departments/ Secretariats/Offices specified in the First Schedule to the Govt. of India (Allocation of Business) Rules, 1961 and Departments/Directorates/ Commissions/Boards/ Offices/organisations specified in column 1 of the Schedule to these rules in case of deeds/indemnity bonds in Forms GAR 12, 26 & 47 specified under the Central Government Accounts (Receipts & Payments) |
|-------------------------|--|

Rules 1983 & indemnity bond for issue of fresh draft in lieu of lost demand draft.

#### MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES

- |  |  |
|--|--|
| (1) Office of the Development Commissioner, Small Scale Industries | Development Commissioner, Joint Development Commissioner, Director (Administration) and Deputy Director (Administration) in the Headquarters Office.         |
| (2) Office of Economic Advisor                                     | Additional Economic Advisor and Deputy Economic Advisor.   |
| (3) Bureau of Industrial Costs and Prices                          | Secretary/Any officer in the rank of Director  |
| (4) Office of the Salt Commissioner, Jaipur                        | Salt Commissioner, Deputy Salt Commissioner and Assistant Salt Commissioner.   |
| (5) Office of Chief Controller of Explosives, Nagpur               | Chief Controller of Explosives, Senior Joint Chief Controller of Explosives, Joint Chief Controller of Explosives and Deputy Chief Controller of Explosives. |

#### MINISTRY OF INFORMATION TECHNOLOGY

- |  |   |
|--|---|
| (a) Standardisation Testing & Quality Certification (STQC) Directorate | Director General (Standardisation Testing and Quality Control), Joint Director, Deputy Director |
| (i) Electronics Regional Test Laboratories                             | Director, Joint Director, Deputy Director.  |
| (ii) Electronics Test and Development Centres                          | Director, Joint Director Deputy Director.   |
| (iii) Centre for Reliability   | Director, Joint Director, Deputy Director.  |

(b) National Informatics Centre	Director, Joint Director, Deputy Director.
<u>MINISTRY OF LAW JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS</u> <u>Legislative Department</u>	
Official Languages Wing	Joint Secretary and Legislative Counsel
<u>MINISTRY OF LABOUR</u>	
Directorate General of Labour	Director General/ Joint Secretary/ Deputy Secretary/ Under Secretary/ Desk Officer.
<u>MINISTRY OF COAL &amp; MINES</u>	
(1) Geological Survey of India	Senior Deputy Director General/Deputy Director General/ Director/Regional Administrative Officer/Senior Administrative Officer.
(2) Indian Bureau of Mines	Controller General/ Controller of Mines (Co-ordination)/Chief Controller of Mines/ Director (Ore-Dressing)/ Head of Office.
<u>DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING</u>	
Central Bureau of Investigation	Deputy Director (Administration)/ Administrative Officer/Assistant Director (Establishment)
<u>MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY</u> <u>Department of Science and Technology</u>	
India Meteorological Department	Deputy Director General of Meteorology (Administration and stores)
<u>MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT</u>	
(1) National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.	Under Secretary.
(2) National Commission for Minorities	Under Secretary.

DEPARTMENT OF SPACE

Space Commission

Secretary

DEPARTMENT OF COMMERCEDirectorate General of Supplies  
and DisposalsDirector (Administration),  
Deputy DirectorMINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(1) Road Safety

Deputy Director  
(Road Safety).

(2) Marine Development

Account Officer  
(Marine Development).MINISTRY OF TEXTILES(1) Office of the Development  
Commissioner (Handicrafts)Development  
Commissioner  
(Handicrafts)/  
Director (Marketing)(2) Office of Textile  
CommissionerJoint Textile  
Commissioner.(3) Office of Development  
Commissioner (Handlooms)Deputy Development  
Commissioner.(4) Office of the Jute  
CommissionerDeputy Jute  
Commissioner.MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND  
POVERTY ALLEVIATIONDEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT(1) Central Public Works  
DepartmentDirector/Deputy  
Director (Administration)

(2) Directorate of Printing

Joint Director  
(Administration)

(3) Directorate of Estates

Deputy Directors of  
Estate incharge of  
Litigation, Markets  
and Policy cell.(4) Town and Country  
Planning Organisation

Chief Planner.

(5) Land and Development  
OfficeLand and Development  
Officer/Deputy Land  
and Development  
Officer/Assistant  
Settlement  
Commissioner.



MINISTRY OF WATER RESOURCES

Central Water Commission

Secretary (Central Water  
Commission)/Director/Under  
Secretary/Deputy Director in  
the Human Resources  
Wing at the  
HeadquartersNew Delhi  
Dated : 16th January, 2002K. R. NARAYANAN,  
PRESIDENT.

[No. 23/1/94-Public]

YASHWANT RAJ, Jt. Secy.

SEN 2/1/1

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99



सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48]

No. 48]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 19, 2006/पौष 29, 1927

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 19, 2006/PAUSA 29, 1927

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2006

का.आ. 52 (अ).— संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखत) नियमावली, 2002 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

1. (i) ये नियम अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखत) संशोधन नियमावली, 2005 कहलाएंगे।
- (ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखत) नियमावली, 2002 के नियम 2 में :—

- (i) धारा (44) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

“जल संसाधन मंत्रालय के संबंध में आदेशों और अन्य लिखतों के मामले में विभाग के ईस्टर रिवर्स विंग में शाखा अधिकारी के रूप में कार्यरत भारत सरकार का अवर सचिव, और वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त/संयुक्त आयुक्त, निदेशक (राजभाषा), वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (कृषि विषय), संयुक्त आयुक्त (मृदा/कृषि इंजीनियरी/सस्य विज्ञान), निदेशक/संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी), उप निदेशक (सांख्यिकी), उप आयुक्त, उप निदेशक (राजभाषा), उप निदेशक (कृषि अर्थशास्त्र); अथवा”

- (ii) धारा (47) शामिल की जाए ताकि निम्नानुसार पढ़ा जाए :—

“(47) भू-संसाधन, ग्रामीण विकास मंत्रालय (बंजर भूमि विकास प्रभाग) के संबंध में आदेशों और लिखतों के मामले में उस विभाग में उप महानिरीक्षक (वन), उप सलाहकार (वानिकी), सहायक महानिरीक्षक (वन), उप आयुक्त अथवा वैज्ञानिक (टी ई) द्वारा।”

ह./-

आ. प. जै. अब्दुल कलाम, राष्ट्रपति

[सं. 23/01/2005-पब्लिक]

यशवन्त राज, संयुक्त सचिव (प्रशासन)

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

## ORDER

New Delhi, the 18th January, 2006

S.O. 52(E).—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 77 of the Constitution, the President is pleased to make the following rules to amend the Authentication (Orders & other Instruments) Rules, 2002 namely :—

1. (i) These rules may be called the Authentication (Orders & other Instruments) Amendment Rules, 2005.  
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In rule 2 of the Authentication (Orders & other Instruments) Rules, 2002 :—
  - (i) Section (44) may be substituted by the following :—

“In the case of orders and other instruments relating to the Ministry of Water Resources, by the Under Secretary to the Government of India functioning as Branch Officer in the Eastern Rivers Wing in that Department; and by Senior Joint Commissioner/Joint Commissioner, Director (Official Language), Senior Joint Commissioner (Agricultural Disciplines), Joint Commissioner (Soils/Agricultural Engineering/Agronomy), Director/Joint Director (Statistics), Deputy Director (Statistics), Deputy Commissioner, Deputy Director (Official Language), Deputy Director (Agricultural Economics); or”
  - (ii) Section (47) may be inserted to read as :—

“(47) in the case of orders and other instruments relating to the Department of Land Resources, Ministry of Rural Development (Wasteland Development Division) by the Dy. Inspector General (Forests), Dy. Adviser (Forestry), Asstt. Inspector General (Forests), Deputy Commissioner or Scientist (TE) in that Department.”

Sd/-

A. P. J. ABDUL KALAM, PRESIDENT

[No. 23/01/2005-Public]

YASHWANT RAJ, Jt. Secy. (Admn.)



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITYसं. 945]  
No. 945]नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 25, 2006/भाद्र 3, 1928  
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 25, 2006/BHADRA 3, 1928गृह मंत्रालय  
आदेश

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2006

का.आ. 1358(अ).—संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखत) नियम, 2002 में आगे और संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (i) ये नियम अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखत) संशोधन नियम, 2006 कहलाएंगे।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखत) नियम, 2002 के नियम 2 में निम्नवत पठनीय एक नई धारा (48) जोड़ी जाए :—

“(48) केन्द्र निदेशकों (केन्द्रों के प्रभारी), केन्द्र प्रमुख, निदेशक/उप सचिव (स्थापना), निदेशक (प्रशासन) और उप निदेशक (प्रशासन) द्वारा राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (एनटीआरओ) से सम्बन्धित आदेशों और अन्य लिखतों के मामले में”।

(आ.प.जै. अब्दुल कलाम)  
राष्ट्रपति

[सं. 23/1/2006-पब्लिक]

यशवन्त राज, संयुक्त सचिव (प्रशा.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
ORDER

New Delhi, the 25th August, 2006

S.O. 1358(E).—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 77 of the Constitution of India, the President is pleased to make the following rules to further amend the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 2002 namely :—

1. (i) These rules may be called the Authentication (Orders and other Instruments) Amendment Rules, 2006.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.


2. In rule 2 of the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 2002, a new section (48) may be inserted to read as :—

“(48) in the case of orders and other instruments relating to the National Technical Research Organisation (NTRO) by the Centre Directors (Incharge of Centres), Centre Heads, Director/Deputy Secretary (Establishment), Director (Administration) and Deputy Director (Administration)”.

(A.P.J. Abdul Kalam)  
President

[No. 23/1/2006-Public]

YASHWANT RAJ, Jt. Secy. (Admn.)



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1434]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 9, 2009/भाद्र 18, 1931

No. 1434]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 9, 2009/BHADRA 18, 1931

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2009

का.आ. 2295(अ).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत की राष्ट्रपति, अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखत) नियम, 2002 [अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखत) संशोधन नियमावली, 2005 के द्वारा 18 जनवरी, 2006 तथा अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखत) संशोधन नियम, 2006 के द्वारा 25 अगस्त, 2006 को संशोधित] को पुनः संशोधित करती हैं :—

“अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखत) नियम, 2002 की अनुसूची में रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग से संबंधित प्रविष्टि में निम्नानुसार संशोधन किया जाना है :

वर्तमान प्रविष्टि	निम्न के द्वारा प्रतिस्थापित की जानी है
अपर महानियंत्रक/ उप-महानियंत्रक	रक्षा लेखा के संयुक्त महानियंत्रक/रक्षा लेखा के वरिष्ठ उप-महानियंत्रक/रक्षा लेखा के उप महानियंत्रक

2. अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखत) नियम, 2002 में उपर्युक्त संशोधन के बाद इसे अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखत) संशोधन नियमावली, 2009 कहा जाएगा।

3. वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

ह./-

प्रतिभा देवीसिंह पाटिल, राष्ट्रपति।”

नई दिल्ली

दिनांक : 9 सितम्बर, 2009

[फा. सं. 23/1/2009-पब्लिक]

आर. पी. नाथ, संयुक्त सचिव (प्रशासन)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
ORDER

New Delhi, the 9th September, 2009

S.O. 2295(E).—In exercise of powers conferred by clause (2) of Article 77 of the Constitution of India, the President of India is pleased to further amend the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 2002 [amended on January 18, 2006 *vide* Authentication (Orders and other Instruments) Amendment Rules, 2005 and on August 25, 2006 *vide* Authentication (Orders and other Instruments) Amendment Rules, 2006] :—

“In the Schedule to the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 2002, the entry pertaining to Ministry of Defence, Defence Accounts Department to be amended as follows :

Existing entry	To be substituted by
Additional Controller General/Deputy Controller General	Joint Controller General of Defence Accounts/Sr. Deputy Controller General of Defence Accounts/Deputy Controller General of Defence Accounts

2. The above amendment to the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 2002 may be called the Authentication (Orders and other Instruments) Amendment Rules, 2009.

3. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Sd/-

PRATIBHA DEVISINGH PATIL, PRESIDENT.”

New Delhi

Dated : 9th September, 2009

[F. No. 23/1/2009-Public]

R. P. NATH, Jt. Secy. (Admn.)



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1580]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 2, 2010/श्रावण 11, 1932

No. 1580]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 2, 2010/SHRAVANA 11, 1932

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2010

का.आ. 1887(अ).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत की राष्ट्रपति, अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखित) नियम, 2002 [अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखित) संशोधन नियम, 2005 के द्वारा 18 जनवरी, 2006 और अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखित) संशोधन नियम, 2006 के द्वारा 25 अगस्त, 2006 को संशोधित तथा अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखित) संशोधन नियम, 2009 के द्वारा 9 सितम्बर, 2009 को संशोधित] को आगे और संशोधित करती हैं :—

अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखित) नियम, 2002 की अनुसूची में योजना और समन्वय निदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय से संबंधित प्रविष्टि में निम्नानुसार संशोधन किया जाना है:—

वर्तमान प्रविष्टि

रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग

योजना और समन्वय निदेशालय

निदेशक (योजना और समन्वय)/उप योजना अधिकारी (समन्वय)

के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए

रक्षा उत्पादन विभाग

योजना और समन्वय निदेशालय

निदेशक (योजना और समन्वय)/उप निदेशक (प्रशासन और समन्वय)

2. अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखित) नियम, 2002 में उपर्युक्त संशोधन के अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखित) संशोधन नियम, 2010 कहा जाएगा।

3. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

ह./-

(प्रतिभा देवीसिंह पाटील),

राष्ट्रपति

नई दिल्ली

दिनांक: अगस्त 2, 2010

[फा. सं. 23/1/2010-पब्लिक]

आर. पी. नाथ, संयुक्त सचिव (प्रशासन)

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

## ORDER

New Delhi, the 2nd August, 2010

**S.O. 1887(E).**—In exercise of powers conferred by clause (2) of article 77 of the Constitution of India, the President of India is pleased to further amend the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 2002 [amended on January, 18, 2006 *vide* Authentication (Orders and other Instruments) Amendment Rules, 2005 and on August 25, 2006 *vide* Authentication (Orders and other Instruments) Amendment Rules, 2006 and on September, 9, 2009 *vide* Authentication (Orders and other Instruments) Amendment Rules, 2009] :—

In the Schedule to the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 2002 the entry pertaining to Directorate of Planning and Coordination, Department of Defence Production, Ministry of Defence to be amended as follows :—

**Existing entry**

Department of Defence Production and Supplies

Directorate of Planning and Coordination

Director (Planning and Coordination)/Deputy Planning Officer (Coordination).

**To be substituted by**

Department of Defence Production

Directorate of Planning and Coordination

Director (Planning and Coordination)/Deputy Director (Admn. &amp; Coordination).

2. The above amendment to the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 2002 may be called the Authentication (Orders and other Instruments) Amendment Rules, 2010.

3. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Sd/-

(PRATIBHA DEVISINGH PATIL),  
President

New Delhi

Dated : August 2, 2010

[F. No. 23/1/2010-Public]  
R. P. NATH, Jt. Secy. (Admn.)